फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

विनोद कुमार मीना बनाम सरकार

पत्र संख्या : /2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, ज़वाब पैरोकार सरकार एवं अन्य दस्तावेज़ात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम थली, तहसील आंधी में स्थित भूमि खाता सं0 550 खसरा नम्बर 376 रकबा 0.4100है0, नये खाता संख्या 551 के खसरा नम्बर 219, 306, 551, 563, 564 कुल रकबा 2.3200है0, नये खाता संख्या 552 के खसरा नम्बर 268 रकबा 1.6100है0, नये खाता संख्या 553 के खसरा नम्बर 223, 372 कुल रकबा 0.5000है0, अनुसार भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम पप्पू पुत्र लल्लूराम के स्थान पर सही नाम विनोद कुमार मीना पुत्र लल्लूराम मीना अंकित किया जाकर चली आ रही गलती को सुधार किये जाने एवं उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का सही नाम विनोद कुमार मीना पुत्र लल्लूराम मीना अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी के नाम जरिये विरासत नामा0 संख्या 1494 दिनांक 25.12.2010 के द्वारा प्राप्त हुई जिसमें पप्पू पुत्र लल्लूराम दर्ज है। पप्पू पुत्र लल्लूराम का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सहवन या त्रुटि से नही होकर जरिए विरासत नामा0 सं0 1494 से हुआ है। प्रार्थी नाम परिवर्तन करवाना चाहता है जो कि लिपिकीय त्रुटि नही हुई है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, जवाब पैरोकार सरकार व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर व बहस का मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इज़लास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	